



DR . RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/ 2020/ 1627

दिनांक : 15/07/ 2020

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनांक 14.07.2020 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय की अनुमति दिनांक: 15.07.2020 से विदुषी महिला महाविद्यालय, गौरा बसन्तपुर, कटेहरी, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 50 सीट्स (01 यूनिट) के साथ स्वित्पोषित योजनान्तर्गत सत्र 2020-21 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

१. शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सन्दर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जायेंगे।
२. उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय बी०एड० प्रवेश काउसिलिंग वर्ष-2020 प्रारम्भ होने के पूर्व मानकानुसार शिक्षकों (अनुमोदित) की उपलब्धता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में उक्त सम्बद्धता आदेश में निर्धारित सीट्स राज्यस्तरीय प्रवेश काउसिलिंग से खत: पृथक कर दी जायेगी।
३. संस्था / महाविद्यालय में इंगित समस्त कमियां (यथा—अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण एवं अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं हैं।) को एक माह में पूर्ण कर लेगा। अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों को प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
४. सम्बद्धता आदेश पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में महाविद्यालय को एन०सी०टी०ई० से प्राप्त अनुमति के एन०सी०टी०ई० नई दिल्ली से सत्यापन के अधीन होगा।
५. एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता एवं निरन्तरता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
६. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851 /सत्तर-२-२००३-१५(९२) /2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुरक्षित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय मे समय—समय पर निर्गत अन्य सुरक्षित शासनादेशों का पालन करेगी।
७. महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र (Recognition Letter) में अंकित शर्तों तथा एन०सी०टी०ई० के मानकों की निरन्तरता सुनिश्चित करता रहेगा। एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र में यदि किसी समय एन०सी०टी०ई० द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा मान्यता वापस ली जाती है तो उस स्थिति में महाविद्यालय तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा।
८. जिन संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इन्हित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
९. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
१०. संस्था बी०एड० प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित एन०सी०टी०ई०, उ०प्र० शासन के सुरक्षित आदेश विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
११. महाविद्यालय समय—समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेंगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
१२. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
१३. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी०एड० प्रवेश काउसिलिंग शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

भवदीय

उप—कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रबन्धक, विदुषी महिला महाविद्यालय, गौरा बसन्तपुर, कटेहरी, अम्बेडकरनगर।
२. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
३. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग—इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।
४. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
५. पत्रावली।

उप—कुलसचिव
१५/७/२०२०